न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी :– श्री रवि कुमार RAS

अनुवान फूलचन्द **बनाम** द्रोपदी आदि

वाद संख्या 202 वर्ष 2023

निर्णय दिनांक :– 08.04.2024

1. फूलचन्द पुत्र मोमनदास जाति स्वामी निवासी राजपुरा तहसील तारानगर जिला चूरू

वादी

बनाम

1. द्रोपदी पुत्री मोमनदास जाति स्वामी निवासी राजपुरा तहसील तारानगर जिला चूरू
2. भंवरी पुत्री मोमनदास जाति स्वामी निवासी राजपुरा तहसील तारानगर जिला चूरू
3. गोंरा पत्नी मोमनदास जाति स्वामी निवासी राजपुरा तहसील तारानगर जिला चूरू
4. मंजु देवी पत्नी विजेन्द्र जाति स्वामी निवासी राजपुरा तहसील तारानगर जिला चूरू
5. मुकिता स्वामी पुत्री विजेन्द्र जाति स्वामी निवासी राजपुरा तहसील तारानगर जिला चूरू
6. प्रदीप पुत्र विजेन्द्र जाति स्वामी निवासी राजपुरा तहसील तारानगर जिला चूरू
7. पुनित पुत्र विजेन्द्र नाबालिग उम्र 16 वर्ष जरिये कुदरती बली माता मंजु देवी पत्नी विजेन्द्र जाति स्वामी निवासी राजपुरा तहसील तारानगर जिला चूरू
8. सरोज पत्नी चन्दनमल जाति स्वामी निवासी राजपुरा तहसील तारानगर जिला चूरू
9. हरीश पुत्र चन्दनमल जाति स्वामी निवासी राजपुरा तहसील तारानगर जिला चूरू
10. अनुकुमारी पुत्री चन्दनमल जाति स्वामी निवासी राजपुरा तहसील तारानगर जिला चूरू
11. मुकेश कुमारी पुत्री चन्दनमल जाति स्वामी निवासी राजपुरा तहसील तारानगर जिला चूरू
12. सुशीला पुत्री चन्दनमल जाति स्वामी निवासी राजपुरा तहसील तारानगर जिला चूरू
13. सुनिता पुत्री चन्दनमल जाति स्वामी निवासी राजपुरा तहसील तारानगर जिला चूरू
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तारानगर जिला चूरू

प्रतिवादीगण

15. मैनेजर बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा राजपुरा तहसील तारानगर जिला चूरू

गौण प्रतिवादी

दावा घोषणात्मक अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

वादी द्वारा प्रस्तुत की दावा का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी कृषिभूमि खेत खसरा नं. 1707 / 570 तादादी 6.7776 हेक्टेयर, खसरा नं. 659 तादादी 1.4921 हेक्टेयर कुल

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर(चूरू

तादादी 8.2697 हेक्टेयर रोही मौजा राजपुरा तहसील तारानगर में वाके है यही विवादित कृषिभूमि है। विवादित कृषिभूमि संयुक्त खानदान की सयुक्त सम्पति हैं। वादी एव प्रतिवादीगण एक ही परिवार के हैं। सभी मोमनदास के वारिसान है। वादी एवं प्रतिवादीगण ने परिवार में शांति एवं सदभाव बनाये रखने के लिये सन् 2020 में जुबानी तौर पर पारिवारिक बंटवारा कर लिया था पारिवारिक बंटवारा के मुताबिक प्रतिवादीनी गोरा, द्रोपदी, भंवरी ने अपना हक एवं हिस्सा अपने भाईयों वादी एवं चन्दनमल, विजेन्द्र के पक्ष में त्याग कर दिया था। संयुक्त परिवार की सम्पति में अपना कोई हक एवं हिस्सा नहीं रख था। इसी कारण वादी विवादित कृषिभूमि में 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार है। इसी प्रकार पारिवारिक बंटवारा के अनुसार विजेन्द्र के वारिसान का 1/3 हिस्सा एवं चन्दनमल के वारिसान का 1/3 हिस्सा होता है। क्योंकि विवादित कृषिभूमि में सभी प्रतिवादीगण का खातेदारी में नाम चला आ रहा है इस कारण वादी के अधिकारों पर विपरीत असर पड़ रहा है। इसलिये वादी को अपने हकों की घोषणा करानी आवश्यक हो गई है इसलिये वादी को यह घोषणात्मक वाद प्रस्तुत करना पड़ रहा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई बार कहा व कहलवाया कि अपने अपने हक एवं हिस्से के मुताबिक खाता दुरुस्त करवा लेवें। प्रतिवादीगण कुछ दिन तो टाल मटोल करते रहे आखिर दिनांक 28.08.2023 को बमुकाम राजपुरा में ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये। लिहाजा यही तारीख बिनाय मुखास्मत वाद है। आदि–आदि

इस प्रकार वादी ने वादपत्र पेश कर विवादित कृषिभूमि में 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित करने का अनुतोष चाहा।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर इसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13 ने जरिये अधिवक्ता इकबालदावा पेश किया। वादी तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 9 ने राजीनामा पेश किया जिसे तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 14 की ओर से राजपैरोकार नें उपस्थित आकर जवाब पेश किया जिसमें अंकित किया कि दस्तबरदारी पेटे 500/– की मुद्रांक कर बचाने के उदेश्य से मनगढन्त दावा पेश किया गया है कोई लिखित समझौता पेश नहीं किया है अतः दावा खारिज किया जावें वादीगण की तरफ से 500/– के मुद्रांक कर पर दस्तबरदारी निष्पादित कराकर डीड प्रस्तुत करने की रजामन्दी जाहिर की गई। इस प्रकार दावा का कोई ठोस खण्डन पेश नही होने से तनकी कायम नहीं की गई। उभयपक्ष ने साक्ष्य नहीं कराये। बहस सुनी गई। दोनो पक्षो ने मुताबिक राजीनामा व इकबालदावा वाद डिक्री करने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया व अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 स्व. मोमनराम के वारिसान हैं। विवादित भूमि स्व. मोमनराम की खातेदारी दर्ज रही है जो उसके स्वर्गवास के बाद वाद पक्षकरान को विरासतन प्राप्त हुई हैं।

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 ने जरिये इकबालदावा व राजीनामा से स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। पक्षकारान ने 500/- के मुद्रांक कर पर दस्तबरदारी निष्पादित कराकर पेश कर दी गई है। इस प्रकार वाद वादी पुष्ट एवं प्रमाणित पाया जाता है। ऐसी सुरत में वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

—:: आदेश ::—

अतः वाद बरुये इकबालदावा डिक्री किया जाकर घोषित किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि खसरा नं. 1707/570 तादादी 6.7776 हेक्टेयर, खसरा नं. 659 तादादी 1.4921 हेक्टेयर कुल तादादी 8.2697 हेक्टेयर रोही मौजा राजपुरा तहसील तारानगर में वादी फूलचन्द 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 क्रमशः मंजु देवी पत्नी विजेन्द्र, मुकिता स्वामी, प्रदीप, पुनित पुत्र–पुत्री विजेन्द्र बहिब 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 8 सरोज 11/36 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 9 हरिश 1/36 हिस्सा के खातेदार एवं काबिज काश्तकार हैं। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व 10 ता 14 का विवादित भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं रहा हैं। तहसीलदार तारानगर को आदेश दिया जाता है कि वह वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड कलमजन कर उक्तानुसार खातेदारी दर्ज करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(रवि कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू

निर्णय आज दिनांक 08/04/24 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू